क्रम संख्या–180 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2018 ई0

आश्विन 24, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 360/XXXVI(3)/2018/65(1)/2018

देहरादून, 16 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदया ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्या: 30, वर्ष– 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 30, सन्, 2018)

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 16 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम,1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, की धारा 16 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :–

नियंत्रक किसी व्यक्ति से जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने का युक्तियुक्त संदेह हो, ऐसे किये गये अपराध के शमन के रूप में 50,000 रूपये (रू0 पचास हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसी प्रत्येक दशा में जब इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहित की गयी हो, नियंत्रक द्वारा अनुमानित उसके मूल्य का भुगतान किये जाने पर उस सम्पत्ति को छोड़ सकता है। नियंत्रक को, यथास्थिति ऐसी धनराशि या मूल्य अथवा दोनों का भुगतान किये जाने पर अभियुक्त को यदि वह हिरासत में हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा और अभिगृहित सम्पत्ति अवमुक्त कर दी जायेगी तथा ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

कारण और उद्देश्य

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने का युक्तियुक्त संदेह हो, ऐसे किये गये अपराध के लिए शमन के रूप में निर्धारित अधिकतम धनराशि रू0 5,000 को बढ़ाकर रूपये 50,000 हजार रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकार करने हेतु अधिनियम की धारा–16 को संशोधित किया जा रहा है। ये संशोधन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक और अपरिहार्य हैं।

2– प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।